बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0संख्या–भवन / 10–आरोप(द0बि0)–01 / 2024................................... / पटना, दिनांक–

:: अधिसूचना ::

श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आवास संख्या–B3 / 40, 96 ऑफिसर्स फ्लैट, बेली रोड, पटना में कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना द्वारा अग्रसारित प्राक्कलन को बगैर जाँच किये हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता (पटना) को प्रेषित किया गया। प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में पाया गया कि प्राक्कलन में Renovation शब्द लिखा हुआ है। जबकि दिये गये मदों से स्पष्ट है कि यह कार्य मूल प्रकृति का है। साथ ही उक्त प्राक्कलन में एक ही कार्य को कई खण्डों में तोड़कर प्राक्कलन का गठन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि मुख्यालय को दिग्भ्रमित करते हुए कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी।

2. उक्त आरोप के लिए श्री मंडल से विभागीय पत्रांक–4447(भ0) दिनांक–29.06.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है :–

माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा पूर्व से निर्मित Visitors एवं Staff Quarter के जर्जर स्थिति रहने के कारण Renovation हेतु अनुरोध किया गया। इस अनुरोध के आलोक में प्राक्कलन गठित किया गया। प्राक्कलन के मदों से स्पष्ट है कि Visitor Shed का पुनर्निर्माण किया गया है, जो मूल प्रकृति का कार्य है। अतः लोक निर्माण संहिता में उल्लेखित नियम के आलोक में इस निर्माण से पूर्व मुख वास्तुविद् से इस कार्य का नक्शा अनुमोदित कराकर कार्य सम्पन्न किया जाना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार लोक निर्माण लेखा संहिता में उल्लेखित नियम का पालन नहीं किया गया है। कार्य एक ही परिसर में होना था अतः प्राक्कलन पर समेकित रूप से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना नियमानुकूल होता। इस संबंध में विभाग द्वारा कई बार पत्र के माध्यम से सभी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया जा चुका है। अतः एक ही परिसर में कराये जाने वाले विभिन्न कार्यो के लिए अलग–अलग प्राक्कलन गठित कर विभागीय आदेश की अंवहेलना की गयी है।

3. तकनीकी समिति से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री मंडल से विभागीय पत्रांक–716(भ0) दिनांक–22.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री मंडल के पत्रांक–शून्य दिनांक–17.09.2024 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत आरोप पत्र गठित किया गया। विभागीय पत्रांक–9546(भ0) दिनांक–13.10.2025 द्वारा श्री मंडल से आरोप पत्र के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री मंडल के पत्रांक–शून्य (आवास) पटना, दिनांक–10.11.2025 द्वारा आरोप पत्र के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। जिसमें श्री मंडल को मूल प्रकृति के कार्यो को Renovation बताते हुए बगैर विधिवत जाँच किये ही प्राक्कलन को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का दोषी पाया गया।

कृ0पृ0उ0

4. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 (ग) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

i. 'पेंशन से एक वर्ष के लिए पाँच प्रतिशत राशि की कटौती'।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–01/2024................/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–01/2024............/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/अवर सचिव, स्थापना प्रशाखा–01, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10–आरोप(द0बि0)–01/2024............/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त, वर्तमान पता–88बी–206, विद्या कुंज अपार्टमेन्ट, मेंहदी उत्सव पैलेस के नजदिक, आनन्दपुरी, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(द0बि0)–01 / 2024............ / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(द0बि0)–01 / 2024 3894(अ) / पटना, दिनांक– 29/4/26

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।